न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/06/2025	2025/48	10.03.2025	18.02.2026

1.कुलदीप कौर पुत्री स्व० बचन सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह उम्र करीब 38 साल, जाति मजहबी, निवासी ग्राम डाबरी, तहसील गोविन्दगढ, हाल निवासी नई बस्ती, दिवाकरी, अलवर, राज०।
2.रेखा कौर पुत्री स्व० बचन सिंह पत्नी रवि कुमार उम्र करीब 33 साल, जाति मजहबी, निवासी ग्राम डाबरी, तहसील गोविन्दगढ़ हाल निवासी मूंगस्का, देहली रोड, अलवर तहसील व जिला अलवर राज०।

––अपीलाण्ट्स

बनाम

1.उप तहसीलदार, गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राज०।
2.पटवारी हल्का, ग्राम डाबरी पटवार हल्का दोंगडी उप तहसील गोविन्दगढ़ (हाल तहसील) जिला अलवर।
3.बलदेव सिंह पुत्र स्व० बचन सिंह उम्र करीब 43 साल, जाति मजहबी, निवासी ग्राम डाबरी, तहसील गोविन्दगढ हाल निवासी नई बस्ती, दिवाकरी, अलवर।
4–अमरीक सिंह पुत्र स्व० बचन सिंह (मृतक) जरिये वारिसान।
  4/1 बिल्ला पुत्री स्व० अमरीक सिंह उम्र करीब 26 साल निवासीयान ग्राम डाबरी, तहसील गोविन्दगढ हाल निवासी नई बस्ती, दिवाकरी, अलवर।
5– बूटा सिंह पुत्र स्व० बचन सिंह (मृतक) जरिये वारिसान।
  5/1 कलविन्दर कौर पत्नी स्व० बूटा सिंह उम्र करीब 55 साल,
  5/2 लक्ष्मी पुत्री स्व० बूटा सिंह उम्र करीब 35 साल,
  5/3 पिंकी पुत्री स्व० बूटा सिंह उम्र करीब 33 साल,
  5/4 पूजा पुत्री स्व० बूटा सिंह उम्र करीब 25 साल,
  5/5 सन्नी पुत्र स्व० बूटा सिंह उम्र करीब 30 साल,
  5/6 हन्ती पुत्र स्व० बूटा सिंह उम्र करीब 26 साल निवासीयान ग्राम डाबरी, तहसील गोविन्दगढ हाल निवासी नई बस्ती, दिवाकरी, अलवर।
6.मु० सुरजीत कौर बेवा स्व० बचन सिंह उम्र करीब 80 साल निवासी ग्राम डाबरी, तहसील गोविन्दगढ़ हाल निवासी नई बस्ती, दिवाकरी, अलवर।
7.कमला देवी पत्नी बच्चू सिंह जाति गुर्जर उम्र करीब 60 साल निवासी ग्राम बडबरा तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील इन्तकाल संख्या 364 बनाराजी आज्ञा विरूद्ध उप तहसीलदार, गोविन्दगढ जिला अलवर दिनांक 28/05/1995 जिसके द्वारा अपीलांट अपीलार्थी को बगैर तलब किए बगैर सुनवाई का अवसर दिए एक पक्षीय रूप से विरासत खातेदारी इन्तकाल मृतक बचन सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी डाबरी का मु० सुरजीत कौर पत्नी बचन सिंह, बूटा सिंह व अमरीक सिंह पुत्रान बचन सिंह के हक में मंजूर व स्वीकार किया गया जिसके आधार पर मृतक बूटा सिंह व अमरीक सिंह तथा सुरजीत कौर व बलदेव सिंह द्वारा रेस्पोडेण्टा कमला देवी को जर्ये अन्तरण दस्तावेज आराजी मुतनाजा का अन्तरण/विक्रय किया गया बमुराद मंसूख फरमाये जाने उक्त आज्ञा वो स्वीकार किये जाने अपील अपीलाण्टयन वो दीगर दादरसी।

उपस्थितः–

01. श्री शकूर खान – वकील अपीलाण्ट
02. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता – वकील रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार गोविन्दगढ के आदेश दिनांक 28.05.1995 इंतकाल संख्या 364 वाके ग्राम डाबरी तहसील गोविन्दगढ से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नंबर 16 रकबा 0.27 है०, 170 रकबा 0.59 है0, 171 रकबा 0.60 कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 है० व खसरा नंबर 155 रकबा 0.40 कुल किता 1 कुल रकबा 0.40 है० वाके ग्राम डाबरी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात अपीलाण्टान के स्व० पिता बचन सिंह पुत्र हजारा सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। अपीलाण्टान के पिता बचन सिंह का स्वर्गवास दिनांक 30.05.1996 को गया था। अपीलाण्टान के पिता का स्वर्गवास होने के समय अपीलाण्टान व रेस्पोडेण्ट सं० 3 नाबालिग थे । उसके बाद हम अपीलाण्टान को छिपाते हुए व हमारे नाबालिग होने का फायदा उठाकर हम अपीलाण्ट के भाई मृतक बूटा सिंह, अमरीक सिंह व माता सुरजीत कौर ने हमको छिपाते हुए हल्का पटवारी व आई एल आर से साज–बाज होकर वारिसो की गलत जांच करवा कर अपीलाण्टान के पिता की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात का खातेदारी इन्तकाल सं० 364 दिनांक 28.05.1995 को अपने नाम गलत रिपोर्ट के आधार पर तथा उप तहसीलदार, गोविन्दगढ से साज–बाज होकर अपने नाम तस्दीक करा लिया जिसके आधार पर उपरोक्त आराजीयात मुतनाजा का अन्तरण रेस्पोडेण्ट सं० 7 के नाम कर दिया जबकि हम अपीलाण्टान के पिता का स्वर्गवास दिनांक 30.05.1994 को गया और नामान्तरण विरास्त दिनांक 28.05.1995 को गलत तरीके से खोल दिया गया। जिस पर हम अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजीयात की बाबत इन्तकाल व अन्य राजस्व की नकले दिनांक 21.02.2025 को प्राप्त कर कानूनी मशविरा प्राप्त कर लिखा–पढी कराई जाकर विवादित आदेश उप तहसीलदार गोविन्दगढ से व्यथित होकर यह अपील निम्न उजात के साथ पेश हैं।

विवादित आदेश उप तहसीलदार, गोविन्दगढ़ का है जिसके विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। हम अपीलाण्ट्स को उक्त विवादित आदेश दिनांक 28.05.1995 की जानकारी दि० 17.02.2025 को रेस्पोडेण्ट संख्या 7 द्वारा कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करने की ऐलानियां धमकी देने पर हुई जिस पर विवादित इन्तकालो की नकल दिनांक 21.02.2025 को प्राप्त की जिससे अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी जो समय दिनांक 28.05.1995 से आज दिन तक का विवादित इंतकाल की जानकारी के अभाव में व्यतीत हुआ है वह काबिले कण्डोन है जिस हेतु पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त विवादित आदेश एकपक्षीय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया गया है जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आराजीयात की बाबत उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व मृतक बचन सिंह पुत्र हजारा सिंह के वारिसो की जांच सही प्रकार से करनी चाहिए थी जो नहीं की गई जबकि उपरोक्त इन्तकाल अपीलाण्टान के नाम भी खुलना चाहिए था लेकिन उप तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा ऐसा नही किया गया। बचन सिंह की उपरोक्त आराजीयात की विरासत का इन्तकाल केवल अपीलाण्ट्स की माता व उनके भाईयो के नाम खोला गया है जो अपास्त किए जाने योग्य है जिसे अपास्त फरमाया जाये। मृतक बचन सिंह पुत्र हजारा सिंह की अन्य आराजी खसरा नंबर 151 रकबा 0.22 हे0, 472/91 रकबा 0.03 है०, 474/96 रकबा 0.11 है० वाके ग्राम डाबरी तहसील गोविन्दगढ में स्थित है। जिसकी विरासत इन्तकाल में हम अपीलाण्ट का नाम मौजूद है, परन्तु उपरोक्त आराजीयात में हम अपीलाण्ट का नाम नहीं है जो तथ्य काबिल गौर है। उप तहसीलदार, गोविन्दगढ द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व हम अपीलाण्ट्स को ना तो सुना गया और ना ही अपीलाण्ट्स को तलब किया गया जिससे उक्त विवादित आदेश काबिल अपास्त है। उपरोक्त आराजीयात मृतक बचन सिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात है और हम अपीलाण्ट्स बचन सिंह की पुत्रीयां है जिससे उनका स्वर्गवास होने के पश्चात विधिक रूप से मिन अपीलाण्टान का 1/6–1/6 हिस्सा उक्त आराजीयात में जन्मजात से प्राप्त है । मिन अपीलार्थीगण के 1/6 हिस्से का रेस्पोडेण्ट द्वारा हडपने का कोई कानूनी अधिकार रेस्पोडेण्टान को प्राप्त नही है जिससे उक्त विवादित आदेश काबिल अपास्त है। अन्य तर्क बावक्त बहस अदालत में जुबानी अर्ज किए जावेगे ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः अपील अपीलाण्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित इन्तकाल संख्या 843364 दिनांक 28.05.1995 को अपास्त फरमाया जावे और विवादित आराजीयात में मिन अपीलाण्ट्स का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी विरासत का इन्तकाल खोले जाने की कृपा करे। आपकी बहुत कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश नहीं किए जाने के क्रम में यह प्रार्थना पत्र रेस्पाडेण्ट संख्या 7 की ओर से जरिये अभिभाषक निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत है कि उपरोक्त अनुवान के प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है। अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 364 बाबत विरासत आज्ञा विरूद्ध तहसीलदार, गोविन्दगढ जिला अलवर दिनांक 28.05.1995 वाकै ग्राम डाबरी तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट इन्तकाल संख्या 364 दिनांक 28.05.1995 में पक्षकार नहीं है तथा अपीलाण्ट ने अपील करने से पूर्व अपील में धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं। जिस कारण अपीलाण्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है तथा अपीलाण्ट की अपील धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय श्रीमान से अनुमति प्राप्त नहीं करने के अभाव में संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपीलाण्ट को माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा अपील करने से पूर्व अपील करने की अनुमति धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता का अञ्ठा प्रार्थना पत्र नहीं होने के कारण अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की बाबत कोई अनुमति नहीं दी गई है। जिस कारण अपीलाण्ट की अपील चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पाडेण्ट संख्या 7 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाण्ट की अपील मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश नहीं करने के क्रम में रेस्पोडेन्ट संख्या 07 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का जबाव अपीलान्टान की ओर से निम्नानुसार पेश है कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 1 सही व स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 2 सही व स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 3 में इंतकाल संख्या व दिनांक की बात सही है शेष कथन गलत व अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 4 गलत व अस्वीकार है। (अतिरिक्त कथन) इंतकाल संख्या 364 अपीलार्थी के पिता के विरासत का इंतकाल है, जिसमे अपीलार्थी का जन्मजात व कानूनन अधिकार है। उक्त इंतकाल में अपीलार्थी के नाम को छिपाया गया है। जबकि इंतकाल संख्या 386 में अपीलार्थी का नाम पिता व दादा की आराजीयात का विरासत इंतकाल में अपीलार्थी का नाम आया है, इसलिए इंतकाल संख्या 364 गतल तरीके व गैर कानूनी तरीके से खोला गया है इसलिए इसको चैलेंज करने के लिए 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के क्रम में वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस अंकन कराया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में पक्षकार नहीं है तो अपील प्रस्तुत करते समय दफा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपील करने की इजजात हेतु दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तो अपील इनकम्पीटेन्ट एण्ड मेनटेनेबल नहीं होगी अतः अपील को 96 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश नहीं करने पर अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया तथा बहस एवं प्रार्थना के समर्थन में आर0आर0डी0 1993 पेज 455, 232, आर0आर0डी0 2013 पेज 322, आर0आर0टी0 2012 फर्स्ट पेज 374 एवं आर0आर0डी0 1990 पेज 689 पेश किये।

वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के जबाव में दौराने बहस अंकन कराया कि पिता व दादा की आराजीयात का विरासत इंतकाल में अपीलार्थी का नाम आया है, इसलिए इंतकाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

संख्या 364 गतल तरीके व गैर कानूनी तरीके से खोला गया है इसलिए इसको चैलेंज करने के लिए 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस, अपनी बहस समर्थन में कुछ साइटेशन (आर0आर0डी0 1994 पेज 341 एवं आर0आर0टी0 2019 पेज 1296) पेश करने हेतु कहा किन्तु इंतजार के उपरांत भी वकील अपीलांट साइटेशन पेश करने में असमर्थ रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि अपील, अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, गोविन्दगढ़ द्वारा पारित नामांतरण संख्या 364 दिनांक 28.05.1995 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण का मुख्य कथन है कि विवादित आराजीयात उनके पिता स्व. बचन सिंह की खातेदारी भूमि थी, जिनका स्वर्गवास होने के पश्चात उनकी माता व भाइयों ने अपीलार्थीगण (पुत्रियों) का नाम छिपाकर व मिलीभगत कर केवल अपने पक्ष में वरासतन इंतकाल तस्दीक करवा लिया और बाद में भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को अंतरित कर दी। अपीलार्थीगण का दावा है कि उन्हें विधिक रूप से 1/6–1/6 हिस्सा प्राप्त होना चाहिए था। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण मूल इंतकाल कार्यवाही/आदेश दिनांक 28.05.1995 में पक्षकार नहीं थे। चूंकि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में पक्षकार नहीं थे, अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय से 'अपील करने की अनुमति' (Leave to Appeal) प्राप्त करनी आवश्यक थी। रेस्पोडेन्ट पक्ष का तर्क है कि अपीलार्थीगण द्वारा न तो ऐसी अनुमति मांगी गई और न ही धारा 96 सी.पी.सी. का कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस विधिक त्रुटि के कारण अपील संधारण योग्य (Maintainable) नहीं है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों (Citations) का हवाला दिया RRD 1993 Page 455, RRD 1993 Page 232, RRD 2013 Page 322, RRT 2012 first Page 374, RRD 1990 Page 689। इन नजीरों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मूल वाद/आदेश में पक्षकार नहीं है, तो उसे अपील दायर करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए तर्क दिया कि वे मृतक खातेदार के विधिक वारिस हैं और अन्य आराजीयात के इंतकाल (जैसे सं. 386) में उनका नाम दर्ज है। चूंकि इंतकाल 364 गलत व गैर–कानूनी तरीके से खोला गया है, इसलिए इसे चुनौती देने के लिए धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक नहीं है। अपीलार्थी पक्ष अपनी बहस के समर्थन में कोई भी न्यायिक दृष्टांत (Citation) प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे।

चूंकि विवादित इंतकाल संख्या 364 दिनांक 28.05.1995 की कार्यवाही में अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जो व्यक्ति मूल आदेश या डिक्री में पक्षकार नहीं है, उसे उस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को अपील दायर करने से पूर्व या अपील के साथ धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत 'Leave to Appeal' (अपील करने की इजाजत) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होती है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0डी0 1993 पेज 455 एवं आर0आर0डी0 2013 पेज 322 में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में पक्षकार नहीं है और वह बिना 'लीव टू अपील' प्राप्त किये अपील प्रस्तुत करता है, तो ऐसी अपील विधि की दृष्टि में अपूर्ण (Incompetent) एवं पोषणीय (Maintainable) नहीं है। इस प्रकरण में अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील करने की अनुमति हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा केवल विधिक वारिस होने का तर्क दिया गया है, जो कि प्रक्रियात्मक कानून की पालना न करने की कमी को पूरा नहीं करता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में यह अपील चलने योग्य नहीं पायी जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। चूंकि अपीलार्थीगण मूल आदेश में पक्षकार नहीं थे और उन्होंने धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत 'अपील करने की अनुमति' (Leave to Appeal) हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इस विधिक त्रुटि के कारण यह अपील अपोषणीय (Not Maintainable) होने के फलस्वरूप खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इन्तकाल संख्या 364 दिनांक 28.05.1995 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर